न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 65 / 2020

पुरूषोत्तम पुत्र चरनसिंह ,निवासी सिरसौदा, तहसील व पो0 आ0 रूपवास जिला भरतपुर।

बनाम

उपखण्ड अधिकारी रूपवास ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 06.10.2020**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट श्री पुरूषोत्तम पुत्र चरनसिंह ,निवासी सिरसौदा, तहसील व पो0 आ0 रूपवास जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 13.08.2020 उपखण्ड अधिकारी रूपवास से सूचना चाही गई थी । उपखण्ड अधिकारी रूपवास द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 479 दिनांक 09.09.2020 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी रूपवास से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में उपखण्ड अधिकारी रूपवास से उनके पत्र कमांक / 1220 दिनांक 22.09.2020 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं उपखण्ड अधिकारी रूपवास ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी रूपवास से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है । उपखण्ड अधिकारी रूपवास से प्राप्त जबाब पत्र कमांक 1220 दिनांक 22.09.2020 का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी रूपवास ने अपने जबाव में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा 05 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी । इनमें से बिन्दु संख्या 1,2,3 की सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करादी गई है । बिन्दु संख्या 4,5 की सूचना उनके कार्यालय से सम्बन्धित नहीं होने के कारण तहसीलदार रूपवास व ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी रूपवास को धारा 6(3) के तहत अन्तरित करते हुए प्रार्थी को सूचित कर दिया गया है। उपखण्ड अधिकारी रूपवास ने अपने जबाब की ताईद में पत्र कमांक 980-82 दिनांक 17.08.2020 की प्रति भी भिजवाई गई है। अपीलार्थी को उपखण्ड अधिकारी रूपवास द्वारा बिन्दु संख्या 1,2,3 की सूचना उपलब्ध करादी गई है । बिन्दु संख्या 4 व 5 से सम्बन्धित सूचना तहसीलदार रूपवास व ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी रूपवास से नियमानुसार प्राप्त कर सकता है ।

................2

जिला कलक्टर, भरतपुर (राज०)

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (उपखण्ड अधिकारी रूपवास से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी रूपवास को भी भेजी जावे।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर